

469(ET cell)
28/03/13

(TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER AND DATE)
**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL ELEMENTARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA**

Order No. 12/07-2013 HRM-II(3)

Dated, Panchkula the 25-3-2013

The following guest faculty Master/Mistress are hereby adjusted against their names under rule work load and on demand:-

1.	Sh. Ravinder Singh Math Master	GSSS Dohka Haria (Bhiwani)[4051]	GHS Arya Nagar (Bhiwani)[475]	Against Vacancy
----	-----------------------------------	--	----------------------------------	-----------------

**DR. D. SURESH
DIRECTOR GENERAL ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA.**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 28.3.13

A copy is forwarded to the following for information and necessary

action:-

1. District Elementary Education Officer, Bhiwani.
- ✓ 2. Technology Officer (I.T. Cell).


**Superintendent HRM-II
for Director General Elementary Education, Haryana
Panchkula.**

4rd IT cell)
28/3/13

**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 21/31-2013 HRG-I (4)

Dated, Panchkula the 17.03.2013

In terms of Haryana Govt. notification dated 26.04.2011, Sh. Omal Singh, Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School Ranila (Bhiwani) is hereby re-employed in the same school after his retirement with immediate effect till the end of academic session i.e. upto 31.03.2014 or till the new incumbent joins the post by way of new recruitment/promotion which ever is earlier. He will be paid salary as per provisions of CSR Vol-II i.e. last pay drawn minus pension. He will also exercise Drawing and Disbursing powers of the school.


**VIKAS YADAV
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 28-3-2013

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Bhiwani w.r.t. his letter No. E-I-12/2663 dated 08.02.2013.
3. Treasury Officer, Bhiwani.
4. Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School Ranila (Bhiwani).
- ✓ 5. Technology Officer, I.T. Cell.


Superintendent HRG-I
for Director Secondary Education, Haryana,
Panchkula.
PK



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

विभागा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमस्ो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

468 (IT cell)
28/03/13

www.schooleducationharyana.gov.in | eduprimaryhry@gmail.com

ORDER NO: 28/13-2012-HRC&V(2)

DATED, PANCHKULA: 26/03/2013

In continuation of this office order no. 28/13-2012-HRC&V(2) dated 02/11/2012 the deputation order of [084114] Sh. Deepak Drawing C&V,GMS Khuian Nepalpur, (Sirsa) [3016] to GMS Surkpur, (Jhajjar) [3238] is hereby further extended for a period of four months.

Other terms & conditions of deputation would be remain same.

DR. D.SURESH
DIRECTOR GENERAL ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. 28/13-2012-HRC&V(2)

DATED PANCHKULA, 28/3/2013

A copy is forwarded to the following for information and necessary action: -

1. District Elementary Education Officer, Concerned. *Sirsa / Jhajjar*
2. Head of the institution concerned. It is directed that the official may be relieved after the expiry of the deputation period.
3. Official Concerned. It is directed that he/she will join his/her previous place of posting immediately after the expiry of deputation period and she will be treated absent from duty in case of non-joining his/her previous place of posting.
4. Technology Officer (IT CELL).

Director
SUPERINTENDENT C&V
for DIRECTOR GENERAL ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

1/1



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

Directorate Elementary Education / मौलिक शिक्षा निदेशालय

467 (IT all)

28/03/13

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



समसी मा ज्योतिर्नयम
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | eduprimaryhry@gmail.com

ORDER NO. 28/11-2013-HRC&V(2)

DATED, PANCHKULA: 26/03/2013

The following Official(s) is/are hereby deputed for four months at the place of mentioned against his/her name(s) with immediate effect.

Sr. No.	Transfer Id	Name, Designation	Present Place of Posting	Place of Deputation	Remarks
1	52327	Sh. Baljeet Singh Tehlan PTI C&V Employee ID: 085528	GMS Payaga, (Mahendergarh) [5455]	GMS Shimli, (Rohtak) [2785]	Against vacancy

Note: The Officials salary would be drawn from GMS Payaga, (Mahendergarh) [5455]

DR. D. SURESH
DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. 28/11-2013-HRC&V(2)

DATED PANCHKULA, 28/3/2013

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

- 1 District Education Officer/ District Elementary Education Officer, Concerned. M/Garh / Rohtak
- 2 Head of the institution, Concerned. It is directed that the official may be relieved after the expiry of the deputation period.
- 3 Official Concerned. It is directed that he/she will join his/her previous place of posting immediately after the expiry of deputation period and she will be treated absent from duty in case of non-joining his/her previous place of posting.
- 4 Technology officer (HQ)


SUPERINTENDENT HRC&V
for DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

471TTcell
28/03/13
शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | eduprimaryhry@gmail.com

ORDER NO: 25/12-2010-HRC&V(3)

DATED, PANCHKULA: 28/03/2013

In continuation of this office order no. 25/12-2010-HRC&V(3) dated 25/09/2012 the deputation order of [066604] Smt. Meenakshi Drawing C&V, GSSS Madana Kalan, (Jhajjar) [3174] to GSSS Bapp, (Sirsa) [4023] is hereby further extended for a period of four months.

Other terms & conditions of deputation would be remain same.

DR. D. SURESH
DIRECTOR GENERAL ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. 25/12-2010-HRC&V(3)

DATED PANCHKULA, 28/3/2013

A copy is forwarded to the following for information and necessary action: -

1. District Elementary Education Officer, Concerned. *Thakur Singh Sirsa*
2. Head of the institution concerned. It is directed that the official may be relieved after the expiry of the deputation period.
3. Official Concerned. It is directed that he/she will join his/her previous place of posting immediately after the expiry of deputation period and she will be treated absent from duty in case of non-joining his/her previous place of posting.
4. Technology Officer (IT CELL).

S. C. 62
SUPERINTENDENT HRC&V
for DIRECTOR GENERAL ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in



कार्यालय मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

ज्ञापन

आदेश क्रमांक 17/22-2013 HRM-II (5)

दिनांक पंचकूला :

- 1 श्री राजकुमार एस0एस0 अध्यापक रा0उ0वि0 भैणी भैरों (रोहतक) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
- 2 श्री राजकुमार एस0एस0 अध्यापक, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 21 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करती/करता है या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती/चाहता है।
- 3 श्री राजकुमार एस0एस0 अध्यापक, को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहती/चाहता है तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जो कि निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पास है और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है, यदि सरकार की राय में उन्हें किन्हीं दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री राजकुमार एस0एस0 अध्यापक, ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती/चाहता है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी श्री राजकुमार एस0एस0 अध्यापक, को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिए।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

(डा० डी. सुप्रस, आई०एस०)
महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रजिस्टर्ड
सेवा में

श्री राजकुमार एस0एस0 अध्यापक
रा0उ0वि0 भैणी भैरों (रोहतक)

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला :

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
- 2 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद।
- 3 मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 भैणी भैरों (रोहतक)।
- 4 टी0ओ0/आई0टी0सैल।

रजि. 8/11
अधीक्षक एच0आर0एम0-II
कृत0 महानिदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।


आरोप सूची विरुद्ध— श्री राजकुमार एस०एस० अध्यापक रा०उ०वि० भैणी भैरों (रोहतक)

.....

श्री राजकुमार एस०एस० अध्यापक रा०उ०वि० भैणी भैरों (रोहतक) ने रा०प्रा०पा० भतौला (फरीदाबाद) में मुख्य शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए वर्ष 2010, 2011 व 2012 में अध्यापक द्वारा करवाये गये तीन अतिरिक्त कमरो के निर्माण में निम्नलिखित अनियमितताएं की है:-

- i. कार्य प्रारम्भ करने से पहले SMC कमेटी से प्रस्ताव पास नहीं करवाया गया।
- ii. सामान खरीदने के लिए कोई खरीद कमेटी नई बनाई गई और न ही कोई तुलनात्मक कुटेशन लगाई गई।
- iii. केश बुक व स्टाक रजिस्टर जांच वाले दिन (27.12.2012) तक मेनटेन नहीं किया गया और मजदूर एवं मिस्त्रियों का मास्टर रोल नहीं बनाया गया।
- iv. बिल नं० 118 दिनांक 29.8.2011 के अनुसार 22900/- रुपये का भुगतान किया गया है जबकि राशि 22500/- रुपये ही बनती थी एवं इसी प्रकार बिल नं० 82 के अनुसार फर्म लवली सैन्टर हार्ड वेयर को 2905/- रुपये का भुगतान किया गया जबकि राशि 2635/- रुपये बनती थी। इस प्रकार कुल 670/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया तथा एक अन्य राशि 2471/- रुपये का भुगतान SMC कमेटी के प्रधान की अनुमती के बिना ही कर दिया गया।
- v. कमरो के निर्माण कार्य में बीच व कालम इत्यादि में सरिया बाहर दिखाई दे रहे हैं जिनको ढकने के लिए प्लास्टर करना चाहिए था।
- vi. दिनांक 11.1.2013 को जब J.E द्वारा visit किया गया तो कुछ जगहों से फर्श टूटा हुआ था तथा बिजली की फिटिंग नार्मानुसार नहीं थी व छत पर भी PCC गोला नहीं बनाया गया।
- vii. आप द्वारा अंतिम किस्त की राशि की मांग की गई जबकि इस पर उसका हक नहीं बनता था क्योंकि यह राशि बकाया देनदारी व बकाया कार्य पूर्ण करने पर खर्च की जानी थी।
- viii. आप द्वारा मंगाई गई इंटों का सैम्पल कार्य कारी अभियन्ता PWD, B&R फरीदाबाद द्वारा फेल घोषित कर दिया गया।

इस प्रकार उसने उपरोक्त गम्भीर अनियमितता करके आपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।



(डा० डी. सुरेश, आई०एस०)
महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

अभियोग सूची विरुद्ध- श्री राजकुमार एस०एस० अध्यापक रा०उ०वि० भैणी भैरों (रोहतक)

श्री राजकुमार एस०एस० अध्यापक रा०उ०वि० भैणी भैरों (रोहतक) ने रा०प्रा०पा० भतौला (फरीदाबाद) में मुख्य शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए वर्ष 2010, 2011 व 2012 में अध्यापक द्वारा करवाये गये तीन अतिरिक्त कमरो के निर्माण में निम्नलिखित अनियमिताएं की हैं:-

- i. कार्य प्रारम्भ करने से पहले SMC कमेटी से प्रस्ताव पास नहीं करवाया गया।
- ii. सामान खरीदने के लिए कोई खरीद कमेटी नई बनाई गई और न ही कोई तुलनात्मक कूटेशन लगाई गई।
- iii. केश बुक व स्टॉक रजिस्टर जांच वाले दिन (27.12.2012) तक मेन्टेन नहीं किया गया और मजदूर एवं मिस्त्रियों का मास्टर रोल नहीं बनाया गया।
- iv. बिल नं० 118 दिनांक 29.8.2011 के अनुसार 22900/- रुपये का भुगतान किया गया है जबकि राशि 22500/- रुपये ही बनती थी एवं इसी प्रकार बिल नं० 82 के अनुसार फर्म लवली सैन्टर हार्ड वेयर को 2905/- रुपये का भुगतान किया गया जबकि राशि 2635/- रुपये बनती थी। इस प्रकार कुल 670/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया तथा एक अन्य राशि 2471/- रुपये का भुगतान SMC कमेटी के प्रधान की अनुमति के बिना ही कर दिया गया।
- v. कमरो के निर्माण कार्य में बीच व कालम इत्यादि में सरिया बाहर दिखाई दे रहे हैं जिनको ढकने के लिए प्लास्टर करना चाहिए था।
- vi. दिनांक 11.1.2013 को जब J.E द्वारा visit किया गया तो कुछ जगहों से फर्श टूटा हुआ था तथा बिजली की फिटिंग नार्मानुसार नहीं थी व छत पर भी PCC गोला नहीं बनाया गया।
- vii. आप द्वारा अंतिम किस्त की राशि की मांग की गई जबकि इस पर उसका हक नहीं बनता था क्योंकि यह राशि बकाया देनदारी व बकाया कार्य पूर्ण करने पर खर्च की जानी थी।
- viii. आप द्वारा मंगाई गई इंटों का सैम्पल कार्य कारी अभियन्ता PWD, B&R फरीदाबाद द्वारा फेल घोषित कर दिया गया।

इस प्रकार उसने उपरोक्त गम्भीर अनियमितता करके आपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।


(डा० डी. सुरेश आई०एस०)
महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।


रिकार्ड व गवाहों की सूची विरुद्ध- श्री राजकुमार एस0एस0 अध्यापक रा0उ0वि0 मैणी मैरों (रोहतक)

रिकार्ड सूची:-

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद का पत्र क्रमांक ई-3-2013/868 दिनांक 11.3.2013.

गवाहों की सूची:-

1. खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद।
2. श्री राजकुमार (जे0ई0) कार्यालय खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद।


(डा0 डी. सुप्रस, आई0ए0एस0)
महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।